रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14012026-269332
CG-DL-W-14012026-269332

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, जनवरी 4—जनवरी 10, 2026, शनिवार/पौष 14—पौष 20, 1947

No. 49] NEW DELHI, JANUARY 4—JANUARY 10, 2026, SATURDAY/ PAUSHA 14—PAUSHA 20, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

## भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
## Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

**सा.का.नि. 213.—**केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में नायब सूबेदार भंडारी तकनीकी (विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, नायब सूबेदार भंडारी तकनीकी (विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर) समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होंगा, जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.–चिकित्सक दृष्टया योग्यता केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु एक समान मार्ग दर्शक सिद्वांतों के अनुसार रहोगी।

6. अधिवर्षिता. (1)इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता या करती है के अपरान्ह या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित, सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु से परे सेवा में विस्तार अनुदत्त नही ंकिया जाएगा।

7. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को विनिश्चश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां ंवह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृति.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नायब सूबेदार भंडारी तकनीकी (विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर)। | 04*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6, (रू. 35400–112400)। | चयन। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा। | सीधे भर्ती जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। |

| भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नतिः<br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500–81100/रु.) में ऐसे हवलदार भंडारी तकनीकी (विद्युत यांत्रिक इंजीनियर) जिन्होंने चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1 में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और न्यूनतम दो से चार सप्ताह का या बल द्वारा समय-समय पर यथाविहित अनिवार्य पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो और जो निम्नलिखित अर्हताऐं रखते हो, अर्थात् :– |

| | |
|---|---|
| | (क) मानचित्र बोध मानक एक उत्तीर्ण;<br>(ख) तकनीकी व्यापार परीक्षा एक उत्तीर्ण। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | |
|---|---|
| (12) | |
| समूह'ख'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें:–<br>1. महानिरीक्षक, असम राइफल्स – अध्यक्ष;<br>2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स –सदस्य;<br>3. स्टाफ ऑफिसर–1 (प्रशासन) –सदस्य; जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो<br>4. एक तकनीकी अर्हित विद्युत तथा –सदस्य; यांत्रिक इंजीनियर के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो<br>5. असम राइफल्स के दो जूनियर कमीशन–सदस्य। अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का न हो (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7) जिनमें से एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। | समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के जिसमें निम्नलिखित होंगें<br>1. बिग्रेडियर कार्मिक, असम राइफल्स – अध्यक्ष;<br>2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स –सदस्य;<br>3. स्टाफ ऑफिसर–1 (प्रशासन) –सदस्य; जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो<br>4. एक तकनीकी अर्हित विद्युत तथा –सदस्य; यांत्रिक इंजीनियर के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो<br>5. असम राइफल्स के दो जूनियर कमीशन –सदस्य। अधिकारी जिनका पद सूबेदार की रैंक से नीचे का नाहो (वेतन मैट्रिक्समें स्तर–7) जिनमेंसे एक अल्प संख्यक समुदाय और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। |

| भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|
| (13) |
| लागू नही होता। |

[फा. सं. ए–12011/38/आरआरएस/एसकेटी/2024/कार्मि–II(एआर)]

आर जोसेस वशुम, अवर सचिव, (कार्मिक–II)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th September, 2025

**G.S.R. 213.—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Naib Subedar Store Keeper Technical (Electrical and Mechanical Engineers) in the Assam Rifles, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, Naib Subedar Store Keeper Technical (Electrical and Mechanical Engineers), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical fitness.–**The medical fitness shall be as per the uniform guidelines for recruitment medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces and the Assam Rifles issued by the Ministry of Home Affairs and thereof.

6. **Superannuation**.–(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (I).

7. **Interpretation.–**If any question relating to the interpretation of these rules arises it shall be referred to the Central Government for decision.

8. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Naib Subedar Store Keeper Technical (Electrical and Mechanical Engineers). | 04*(2025) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non–Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised). | Level -6 in the pay matrix (Rs 35400-112400). | Selection. | Not applicable. | Not applicable. |

| **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** |
|---|---|---|---|
| **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.** |
| Not applicable. | Two years. | By promotion. | **Promotion**:<br>From amongst Havildar Store Keeper Technical (Electrical and Mechanical Engineers) in level-4 in the pay matrix (25500-81100) with ten years regular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | service in the grade with medical category SHAPE-I, and shall have successfully qualified in mandatory pre promotion training of minimum two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time and possessing the following qualifications,namely: -<br>(a) Passed Map Reading Standard One;<br>(b) Passed Technical Trade Test One. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** |
|---|
| **(12)** |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:-<br>1. Inspector General, Assam Rifles - Chairperson;<br>2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member;<br>3. Staff Officer 1 (Administration), Assam Riflesof the rank of Lieutenant Colonel - Member;<br>4. One Technical qualified Officer from Electrical and Mechanical Engineering of the rank of Lieutenant Colonel - Member;<br>5. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the rank of Subedar (Level-7 in pay matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes - Members.<br>**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of**: -<br>1. Brigadier Personnel, Assam Rifles - Chairperson;<br>2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member;<br>3. Staff Officer 1 (Administration), Assam Riflesof the rank of Lieutenant Colonel - Member;<br>4. One Technical qualified Officer from Electrical and Mechanical Engineering of the rank of Lieutenant Colonel - Member;<br>5. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the rank of Subedar (Level-7 in pay matrix), one belonging to minority community and other belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes - Members. |

| **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|
| **(13)** |
| Not applicable. |

[F. No. A-12011/38/RRs/SKT/2024/Pers-II(AR)]

R. JOSES VASHUM, Under Secy.(Pers-II)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

**सा.का.नि. 214.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, हिन्दी अधिकारी" भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

2 ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त में होंगे।

(2) **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम।** | **पद की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी । | 01*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',राजपत्रित, अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 – 142400/- रु )। |

| **चयन या अचयन पद।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।** |
|---|---|---|
| **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| लागू नहीं होता। | 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। | आवश्यक:<br>(क) अर्हता.-<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर परअंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या |

| | | |
|---|---|---|
| | **टिप्पण.**-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। | (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या<br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है, या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या<br>(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है, या परीक्षा के माध्यम के रूप में; या<br>(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में है; और<br>(ख) अनुभव.- हिंदी से अंग्रेजी और उसके विपर्ययेण में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और उसके विपर्ययेण में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।<br>**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| लागू नहीं होता। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।<br>**टिप्पण:** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा। | प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।** |
|---|
| **(11)** |
| प्रतिनियुक्ति:<br>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारी, - |

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

**टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3.-** अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अच्छे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और कर्तव्यों के दक्ष अनुपालन में बाधा डालने वाली किसी भी शारीरिक निशक्तता से मुक्त होना चाहिए।

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'ख', विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-<br>1. निदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर या महानिरीक्षक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल - अध्यक्ष;<br>2. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-सदस्य;<br>3. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-सदस्य। | सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं. 1-11/2023/डीएम-I(एन)]

आर. जोसेस वाशुम, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2026

**G.S.R. 214.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Civil Defence College, Nagpur, Hindi Officer Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translation Officer in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Senior Translation Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| Senior Translation Officer. | 1*(2026)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial. | Level-7<br>(Rs. 44900 –142400) in the pay matrix. |

| **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** |
|---|---|---|
| **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Not applicable. | Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government)<br>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. | Essential:<br>(a) Qualification.- (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or<br>(ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium or examination at the degree level; or<br>(iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or<br>(iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or<br>(v) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and<br>(b) Experience.- Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and *vice versa* or three years experience of translation work from Hindi to English and *vice versa* in a Central or State Government office, including Government of India undertaking.<br>**Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities |

| | | |
|---|---|---|
| | | possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Two years for direct recruits.<br>**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. | By deputation failing which by direct recruitment. |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.** |
|---|
| **(11)** |
| Deputation: (a) Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations,-<br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 –112400) or equivalent; and<br>(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).<br>**Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.<br>**Note 3:** The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee ( for considering confirmation) consisting of:-<br>1. Director, National Disaster Response Force Academy Nagpur or Inspector General, National Disaster Response Force – Chairman;<br>2. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force – Member;<br>3. Deputy Inspector General, National Disaster Response Force – Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment. |

[F. No. 1-11/2023-DM-I(N)]

R. JOSES VASHUM, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

**सा.का.नि. 215.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर के निदेशक (समूह 'क') के भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, संयुक्त निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम। | पदों की संख्या। | वर्गीकरण। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर। |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| संयुक्त निदेशक (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी। | 01*(2026)*<br>(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क',राजपत्रित, अनसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12<br>(रु. 78800 – 209200)। |

| **चयन या अचयन पद।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।** |
|---|---|---|
| **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| आयु-लागू नहीं होता।<br>शैक्षिक अर्हताएँ- लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा। |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।** |
|---|
| **(11)** |
| प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति:<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी,-<br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की है; और<br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात:-<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और<br>(ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या नागरिक सुरक्षा या अग्निशमन सेवा या राज्य आपदा मोचन बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या सशस्त्र बलों में पांच वर्ष की सेवा का अनुभव जिनमें से किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव या किसी भी मान्यता प्राप्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या सशस्त्र बलों में प्रशिक्षक के रूप में अनुभव रखते हो।<br>2. वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700) में कार्यरत ऐसे विभागीय सहायक निदेशक, जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन होता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।<br>**टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य *काडर-बाह्य* पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

**टिप्पण 3:** अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अच्छे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य वाला होना चाहिए और कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में बाधा डालने वाली किसी भी शारीरिक निशक्तता से मुक्त होना चाहिए।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 1-7/2023-डीएम-I(एन)]

आर. जोसेस वाशुम, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2026

**G.S.R. 215.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Director, National Civil Defence College, Nagpur, (Group "A") Recruitment Rules,2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director, in the National Disaster Response Force Academy, Nagpur, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (*1*) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Disaster Response Force Academy, Joint Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2026.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in pay matrix. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Joint Director (National Disaster Response Force Academy). | 1*(2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200). |

| **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** |
|---|---|---|
| **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|
| **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Age: Not applicable.<br>Educational Qualification: Not applicable. | Not applicable. | By Deputation/Promotion |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.** |
|---|
| **(11)** |
| Deputation/Promotion:<br>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Armed Forces or Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations,-<br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-<br>(i) Bachelor's degree from a recognised University or Institute; and<br>(ii) Five years' experience of service in National Disaster Response Force or Civil Defence or Fire Service or State Disaster Response Force or Central Armed Police Force or Armed Forces and out of which three years experience in training in Disaster Management in any Government Training Institution or experience as Instructor in any recognised Training Institute of Police or Central Armed Police Force or Armed Forces.<br>2. The Departmental Assistant Director in level-11(Rs.67700-208700) of the pay matrix with five years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having filled by promotion.<br>**Note1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.<br>**Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.<br>**Note 3.-** The candidates shall be medically fit and having good mental, bodily health and free from any physical disability likely to interfere with the efficient performance of the duties. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Not applicable. | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 1-7/2023-DM-I(N)]

R. JOSES VASHUM, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 216.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संस्थान [निदेशक, संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ), क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ), उप निदेशक और सहायक निदेशक] भर्ती नियम, 2010 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, संयुक्त निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, **2025** है।

**(2)** ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ **(2)** से स्तम्भ **(4)** में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ **(5)** से स्तम्भ **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.--** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.--** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### "अनुसूची"

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| संयुक्त निदेशक | 2* (2025)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11<br>(रु. 67700- 208700) | चयन |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति:<br>उप निदेशक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये ) के उस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्रों में कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।<br>**टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तककि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।<br>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो;<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।<br>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (रु. 53100—167800 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और जो | विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:<br>1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (बजट)- अध्यक्ष<br>2. निदेशक या उप सचिव (बजट) – सदस्य<br>3. निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य;<br>विभागीय पुष्टिकरण समिति, जो पुष्टिकरण के विचार हेतु है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:<br>1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष<br>2) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (बजट) – सदस्य;<br>3) निदेशक या उप सचिव (बजट) या निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य | प्रोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-<br>(i) जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री हो;<br>(ii) जिनके पास प्रशासन या लोक संबंध या वित्तीय आकड़ों, विधिक मामलों और लेखापरीक्षा प्रबंधन या वित्तीय संस्थानों के निरीक्षण में पाँच वर्ष का अनुभव हो।<br>**टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

New Delhi, the 31st December, 2025

**G.S.R. 216.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Institute [ Director, Joint Director, Regional Director (Senior), Regional Director (Junior), Deputy Director and Assistant Director ], Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of the Joint Directors except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Joint Director in the National Savings Institute, Delhi, Department of Economic Affairs, in the Ministry of Finance, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, National Savings Institute, Delhi, Joint Director (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .–** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-** limit, qualifications etc .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person ,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Joint Director. | 2*(2025)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level -11 in the pay matrix (Rs 67700-208700). | Selection. |

| **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. | By promotion, failing which by deputation (including short-term contract). |

| **In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| **Promotion :**<br>Deputy Director in level- 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) with seven years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in fields as specified by the National Savings Institute.<br>**Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>Deputation ( including short term contract):<br>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or | Departmental Promotion Committee ( for considering promotion ) consisting of :-<br>1. Additional Secretary or Joint Secretary (Budget) - Chairperson<br>2. Director or Deputy Secretary (Budget) - Member;<br>3. Director, National Saving Institute - Member;<br>Departmental Conformation Committee for considering confirmation consisting of :-<br>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson;<br>2. Additional Secretary or Joint Secretary (Budget) - Member;<br>3. Director or Deputy Secretary (Budget) or Director, National Savings Institute - Member; | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion. |

| | | |
|---|---|---|
| statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,-<br>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or<br>(ii) with seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-<br>(i) Master's degree from a recognised University or institute;<br>(ii) five years experience in administration of Government organisation in public relation, management of financial data, legal issues, audit or inspection of financial institution.<br>**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age - limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the last date of receipt of applications. | | |

[F. No. 2/042004- NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.14 14:55:04 +05'30'